कार्यालय,अनुमंडल पदाधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्याः–NPC-02/2016-17

वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉंची के द्वारा शहरी स्थानीय निकायो को शहरी नागरिक परिवहन व्यवस्था मद अन्तर्गत कार्य हेतु उपायुक्त, पलामू को आवंटन प्राप्त है। उपायुक्त, पलामू के आदेश संख्या 272/नजा0, दिनांक 10.12.2016 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपावंटित है। जिसके अन्तर्गत नागरिक परिवहन व्यवस्था हेतु कार्य किया जाना है ।

अतः इच्छुक संवेदक सिलबंद लिफाफे में परिमाण विपत्र सशुल्क निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 05.01.2017 को 5:00 बजे अपराहन तक अनुमंडल कार्यालय, छतरपुर से प्राप्त कर अपना निविदा दिनांक 06.01.2017 को 2:00 बजे अपराहन तक कार्यालय अपर समाहर्त्ता, पलामू में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 06.01.2017 को 3:00 बजे अपराहन में अपर समाहर्त्ता, पलामू के कार्यालय वेश्म में जिला निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।

1. विभाग का नाम :– नगर विकास एवं आवास विभाग,झारखण्ड, रॉंची।
2. विज्ञापनदात्ता का नाम :– अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :– निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 05.01.2017 समय 5:00 बजे अपराहन तक।
4. निविदा प्राप्ति का स्थान :– अपर समाहर्त्ता, पलामू के कार्यालय में।
5. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 06.01.2017 को समय 2:00 बजे अपराहन तक।
6. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक 06.01.2017,को 3:00 बजे अपराहन, अपर समाहर्त्ता, पलामू के कार्यालय वेश्म में।
7. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :– अनुमंडल कार्यालय, छतरपुर।
8. कार्य का नाम :– Construction of PCC Road from Bara Chatiyari Aahar House of Nandu Ram to house of Kamlesh Ram

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	प्रमाण–विपत्र का मूल	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	Construction of PCC Road from Bara Chatiyari Aahar House of Nandu ram to house of Kamlesh Ram	570300/–	11500/–	1150/–	15 दिन

निविदा की शर्ते एवं अन्य जानकारी अनुमंडल कार्यालय, छतरपुर के सूचना पट एवं NIC पलामू के website:- www.palamu.nic.in पर देखा जा सकता है।

अनुमंडल पदाधिकरी,
छतरपुर(पलामू)।

NPC_Tender-2016-17-3-B

निविदा की शर्तें (सूचना संख्या NPC-02/2016-17)

1. नगर पर्षद मेदिनगर मे समुचित श्रेणी मे निबंधित झारखण्ड सरकार/भारत सरकार में निबंधित (पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण/नगर निगम/पुलिस हाउसिंग बोर्ड) में निबंधित संवेदक ही निविदा देने हेतु सक्षम है।
2. शर्तयुक्त एवं अस्पष्ट निविदा मान्य नही होगा। मुहरबंद लिफाफा के उपर कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ समुचित श्रेणी में निबंधन पत्र, अद्यतन आयकर भुगतान प्रमाण–पत्र, वाणिज्य–कर सफाया प्रमाण–पत्र, श्रम लाईसेंस निबंधन, चरित्र प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित सुस्पष्ट प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. परिमाण विपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर के पदनाम से देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक, छतरपुर में भुगतेय होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य वापस नही किया जायेगा।
5. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 8/6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र (8वॉं निर्गम) या पॉच/तीन वर्षीय डाकघर सावधि जमा /बैंक सावधि जमा अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर के पदनाम से प्लेज(Playsed) कराकर जमा करना अनिवार्य है।
6. पॉच वर्षो तक निर्माण की गयी योजना के रख–रखाव का दायित्व संवेदक का होगा। अतः निविदादाता स्थलीय स्थिति देख लेंगे एवं सही , संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में दर अंकित करेंगें। अग्रधन एवं जमानत की राशि कार्य समाप्ति के पॉच वर्षो तक लौटाई नहीं जायेगी और शर्तो के अनुरूप कार्य संतोषप्रद पाए जाने के उपरान्त ही राशि लौटायी जायेगी।
7. कार्य आवंटन के पश्चात् एकरारनामा के पूर्व 3 प्रतिशत प्रारम्भिक जमानत की राशि जमा करनी होगी। प्रत्येक भुगतान के समय 5 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत की राशि विपत्र से काटी जाएगी, जो कार्य समाप्ति के पॉच वर्षों के उपरान्त वर्णित शर्ते पूरी होने पर लौटायी जायेगी।
8. निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी एवं इस कार्य के लिए संवेदक को अलग से कोई राशि देय नहीं होगी, बल्कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जुर्माना प्राक्कलित राशि की 10 प्रतिशत एक मुश्त वसुल किया जायेगा। कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में संवेदक के अन्य कार्य आवंटित किये जाने के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. कार्य प्रारम्भ करते ही संवेदक को कार्य से संबंधित सूचना के सूचनापट का निर्माण अपने खर्च पर करना होगा।
10. निविदा निस्तारन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर चयनित निविदादाता को एकरारनामा कर लेना होगा, अन्यथा उनकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।
11. कार्य में लगने वाली निर्माण संबंधी सभी सामग्री संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी, विभाग कोई सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध नही करायेगी। बिजली , पानी एवं कार्य में लगने वाली सामग्री की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करनी होगी। प्रभारी अभियंता की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण से संबंधित सामग्री लगानी होगी।
12. संवेदक का चयन जिला स्तरीय गठित निविदा समिति द्वारा किया जाएगा। बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा एक ही कार्य को एक से अधिक संवेदकों के बीच बांटने का समस्त अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समिति के द्वारा दिया गया आदेश ही मान्य होगा।
14. आवंटन उपलब्ध रहने एवं संवेदक द्वारा प्रस्तुत विपत्र को कोषागार से निकासी के पश्चात् ही किये गये कार्यो का भुगतान संभव होगा।
15. परिमाण विपत्र में दर्शायी गयी राशि 10 प्रतिशत से कम या 10 प्रतिशत से अधिक की निविदा दर अमान्य होगी।
16. किसी भी प्रकार कि न्यायाकि विवाद का निपटारा स्थानीय न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
17. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। बिना कारण बताये किसी भी निविदा
18. को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा/क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।
19. निविदा के शर्तें का उलंघन करने पर निविदा की राशि जप्त कर ली जायेगी।
20. निविदादाता पहले तकनीकी निविदा संबंधी दस्तावेजों को एक लिफाफे में सीलबंद करेंगे तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे को अलग करेंगे। दोनों लिफाफे को पनुः एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंल करेंगे। प्रत्येक लिफाफे पर उसमें रक्षित कागजातों यथा–वित्तीय अथवा तकनीकी अंकित करेंगे।
21. निविदा प्रस्ततु/स्वीकृति के उपरांत जाली/असत्य दस्तावेज पाये जाने पर अथवा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर स्वीकृत निविदा को कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा के साथ जमा अग्रधन/जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।

9/12/16

अनुमंडल पदाधिकारी,
छतरपुर (पलामू)।